



## केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान

अविकानगर ( मालपुरा जिला टोंक )वाया जयपुर राजस्थान (भारत) 304501  
CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE  
AVIKANAGAR (MALPURA DISTT. TONK) RAJASTHAN (INDIA) 304501



F.No. FTU/2014/


Date.- 23-09-2014

### नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान के फीड यूनिट में लगभग (9500) नौ हजार पांच सौ नग पुरानी खाली बोरियों एवं (2500) दो हजार पांच सौ नग प्लास्टिक के कट्टों का ऑक्सन/नीलाम की खुली बोली द्वारा दिनांक 08-10-2014 को प्रातः 11-00 बजे नीलामी की जावेगी ।

#### नियम एवं शर्तें:-

1. नीलामी में जो भी व्यक्ति/फर्म शामिल होना चाहते हैं, वो धरोहर राशि(अमानत राशि ) के रूप में 2000/- अके रूपये दो हजार मात्र नकद जमा करवा कर नीलामी में भाग ले सकेगा है ।
2. नीलामी में बोलीदाता को बोली 100/-रूपये गुणांक में ही बोलनी होगी । जिस व्यक्ति /फर्म की ज्यादा बोली होगी, उसी के नाम बोली छोड़ी जावेगी ।
3. जिस व्यक्ति/फर्म के नाम बोली छूटेगी उस व्यक्ति / फर्म को बोली की 25/-प्रतिशत राशि तुरन्त संस्थान में बोली स्थल पर ही नकद जमा करवानी होगी । शेष राशि 7 दिवस के भीतर जमा करवा कर बोली में छुटा हुआ बारदाना ले जाना होगा । शेष राशि समय पर जमा नहीं करने की स्थिति में उनके द्वारा संस्थान में जमा अमानत राशि एवं 25 प्रतिशत राशि जब्त करली जावेगी, जिसके जिम्मेदारी स्वयं बोलीदाता की होगी ।
4. बारदाना की सरकारी कीमत आरक्षित है निर्धारित आरक्षित कीमत से कम कीमत में बेचना संभव नहीं होगा । आरक्षित सरकारी कीमत से उच्चतम बोली ही स्वीकार की जावेगी ।
5. बोली छूटने के बाद यदि बोलीदाता को किसी प्रकार की आपत्ति पैदा होती है तो उस पर संस्थान द्वारा कोई विचार नहीं किया जावेगा । अतः बोली लगाने से पूर्व अपने आपमें संतुष्टि होने के बाद ही सोच समझकर बोली लगावे ।
6. बारदाना का लोट (डेर) जो जिस हालत में है, उसे देखते हुये सम्पूर्ण बारदाने की बोली लगानी होगी ।
7. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय बोली को निरस्त एवं स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है ।

  
विभाग अध्यक्ष  
पशु पोषण विभाग

- प्रति- 1. सभी सूचना पट्ट - अविकानगर, मालपुरा एवं चोंदसेन  
2. प्रभारी, भण्डार अनुभाग को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है ।  
3. प्रभारी, ए.के.एम.यू. को सूचनार्थ एवं संस्थान के वेबसाईट पर प्रसारण हेतु ।  
4. प्रभारी, एफ0टी0यूनिट